रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226379
CG-DL-E-06042021-226379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2021/चैत्र 16 , 1943
No. 146] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2021/CHAITRA 16, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

संख्या : एन-12/13/1/2019 यो. एवं वि.—जबकि दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता शर्तों में शिथिलता का आगे और विस्तार करने हेतु मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 क्रम संख्या 436 दिनांक 14.10.2020 में दिनांक 16.10.2020 को यथा अधिसूचित निबंधनों और शर्तों तथा भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 दिनांक 04.01.2021 में दिनांक 11.01.2021 को यथा अधिसूचित शिथिलता के साथ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप -धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4, दिनांक 08.02.2021 में प्रकाशित इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि समाप्ति तक इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशित की गयी थी;

और जबकि उक्त गज़ट अधिसूचना जनसाधारण को दिनांक 09.02.2021 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

तथा प्रभावित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता शर्तों में शिथिलता के विस्तार को भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4

क्रम संख्या 436, दिनांक 14.10.2020 में दिनांक 16.10.2020 को यथा अधिसूचित निबंधनों और शर्तों तथा भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 दिनांक 04.01.2021 में दिनांक 11.01.2021 को यथा अधिसूचित शर्तों में शिथिलता के साथ एतद्वारा अधिसूचित करता है।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (योववि)

[विज्ञापन-III/4/असा./09/2021-22]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

No. N-12/13/1/2019 P&D.—Whereas draft notification further to extend relaxation in eligibility conditions in the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for period 01.01.2021 to 30.06.2021 with the same terms and conditions as notified on 16.10.2020 in the Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III Section 4 Sl. No 436 dated 14.10.2020 and with the relaxation in the conditions as notified on 11.01.2021 in Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III section 4 dated 04.01.2021 was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 dated 08.02.2021 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of thirty days on which the notification was published;

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 09.02.2021;

And no suggestion was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 97 the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to extend relaxation in eligibility conditions in the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for period 01.01.2021 to 30.06.2021 with the same terms and conditions as notified on 16.10.2020 in the Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III Section 4 Sl. No 436 dated 14.10.2020 and with the relaxation in the conditions as notified on 11.01.2021 in Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III section 4 dated 04.01.2021.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./09/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM